

प्रकाश क्र० A १०६२ ८/२५/३

श्री

पेशा ता० १८-६-२०१४

समदा श्रोमान अच्युत राजस्व पट्टल गवालियर कैम्प, हन्दोर

Resto २०३३ नंगरा।

टॉकालाइट हाई

अपोलाथो

५ अम नाम्यवर्म ३५०

सुरेश सेठ आदि

प्रत्यधो

१७०३२९१८ २१३ ३५०

आदेश ९ नियम ७ सो० पो० सो० के अन्तर्गत आवेदन पत्र

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—खालियर

प्रकरण क्रमांक Rest. 2033-PBR / 2014
अनुबृति आदेश पृष्ठ

स्थान तथा दिनांक

शिला इंदार

16-7-2014

आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। आवेदक की ओर से पुर्नरथापन आवेदन पत्र में इस न्यायालय में नियन्त ऐश्वी तिनांक 18-6-2014 को उपस्थित नहीं होना का कारण माननीय उच्च न्यायालय में अन्य प्रकरण में व्यस्त होना दर्शाया गया है। मूल निगरानी प्रकरण में संलग्न अभिभाषक पत्र को देखने से स्पष्ट है कि उसमें श्री विभाष खेड़कर अभिभाषक के अतिरिक्त 3 अन्य अभिभाषक भी आवेदक की ओर से नियन्त हैं। अतः प्रथमतः योद्ध श्री विभाष खेड़कर अभिभाषक माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरण में व्यरत थे तब अन्य अभिभाषक इस न्यायालय में उपस्थित हो सकते थे। इसके अतिरिक्त आवेदक रवंय भी इस न्यायालय में उपस्थित हो सकता था। द्वितीय अन्य न्यायालय में व्यरत होने के कारण इस न्यायालय में प्रचलित प्रकरण में उपस्थित नहीं होना अनुपस्थिति का समाधानकारक कारण नहीं है। उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में मूल निगरानी प्रकरण में अनुपस्थिति का समाधानकारक कारण नहीं पाये जाने से यह पुर्नरथापन आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

h
(स्वद्वीप सिंह)

अध्यक्ष